म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

क्रं./भा0भु0यो0/2018/130/पार्ट–2/4808 भोपाल, दिनांक 27 नवम्बर, 2019

प्रति

सचिव
कृषि उपज मंडी समिति– (समस्त)
जिला– ....

विषय :– सी.एम. हेल्पलाईन की शिकायतों का त्वरित निराकरण करने के संबंध में।

खरीफ 2017, रबी 2018, खरीफ 2018, रबी 2019 आदि से संबधित विभिन्न भावांतर भुगतान/कृषक समृद्धि योजनायें म.प्र.शासन द्वारा मंडी के माध्यम से कियान्यवयन किया गया है। इन योजनाओ से सबंधित सी.एम. हेल्पलाईन एवं जनसुनवाई आदि में कई शिकायतों प्राप्त हुई है। यह पाया गया कि शिकायतों के निराकरण में संबधित अधिकारी द्वारा समुचित ध्यान नही दिया जा रहा है। कई शिकायतों में एल–1 तथा एल–2 अधिकारियों द्वारा समय–सीमा मे शिकायत के निराकरण के संबध में कोई इन्ट्री पोर्टल पर नही की जा रही है। जिससे समय–सीमा बाह्य होने के कारण आगले लेवल पर पहुच रही है। यह स्थिति कर्तव्य पालन मे कोताही का द्योतक है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि सी.एम. हेल्पलाईन में प्राप्त शिकायतों का त्वरित निराकरण करने की कार्यवाही कर पोर्टल पर समय सीमा में निराकरण अवश्य दर्ज करना सुनिश्चित करें।
(प्रबंध संचालक महोदय द्वारा अनुमोदित)

अपर संचालक (भा0भु0यो0)
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रं./भा0भु0यो0/2018/130/पार्ट–2/4809 भोपाल, दिनांक 27 नवम्बर, 2019
प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. संयुक्त संचालक (सी.एम. हेल्पलाईन), बोर्ड, मुख्यालय भोपाल।
2. संयुक्त/उप संचालक म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय, भोपाल, इन्दौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, रीवा, होशंगाबाद, मुरैना को निर्देशित किया जाता है कि सी.एम. हेल्पलाईन में प्राप्त शिकायतों का त्वरित निराकरण करने की कार्यवाही कराकर पोर्टल पर समय सीमा में निराकरण दर्ज कराना सुनिश्चित करें।

अपर संचालक (भा0भु0यो0)
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल